प्रेषक,

निदेशक
प्रशासन एवं विकास
पशुपालन विभाग
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2 मण्डल कार्यालय पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी पशुपालन विभाग उ0प्र0।

पत्रांक /उ0प्र0प0चि0परि0/2016–17 दिनांक 27-6-16

विषयः **भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम 1984 के अन्तर्गत प्रादेशिक सेवा में कार्यरत प्रत्येक पशुचिकित्साविदों के पंजीकरण के नवीनीकरण के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय पत्रांक 149/परिषद/2015–16 दिनांक 06.10.2015, पत्रांक 436/उ0प्र0प0चि0परि0/2015–16 दिनांक 16.2.2016, पत्रांक 523/उ0प्र0प0चि0परि0/2015–16 दिनांक 28.3.2016 एवं दिनांक 4.5.2016 एवं 21.3.2016 को प्रकाशित विज्ञप्ति का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, कि भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 की धारा 48(1) के तहत पंजीकृत प्रत्येक पशुचिकित्साविद का 5 वर्ष बाद नवीनीकरण अनिवार्य है, परन्तु अभी तक अधिकांश पशुचिकित्साविदों द्वारा अपना नवीनीकरण नहीं कराया गया है। साथ ही शासन के आदेश संख्या 101/37–3–2016 दिनांक 22.6.2016 द्वारा भी नवीनीकरण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तदक्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी पशुचिकित्साविदों के पंजीकरण का नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अपने जनपद में कार्यरत **समस्त पशुचिकित्साविदों का दिये गये प्रारूप पर 15 जुलाई 2016 तक सूचना एकत्र कर रजिस्ट्रार, उ0प्र0पशुचिकित्सा परिषद, लखनऊ को प्रेषित करें।** उक्त सूचना के बारे में कई बार आपसे अनुरोध किया गया परन्तु सूचना अभी तक अप्राप्त है। सूचना समय पर उपलब्ध न होने पर आपके विरूद्ध कार्यावाही हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा तथा साथ ही जिन पशुचिकित्साविदों द्वारा

दिनाँक 10.07.2016 तक नवीनीकरण नहीं कराया जाता है उन पशुचिकित्साविद्‌ों को भारतीय पशुचिकित्सा परिषद एक्ट 1984 के पैरा 48(2) के अन्तर्गत पंजीकरण को अवैध मानते हुये नियमानसुार कार्यवाही किये जाने के लिये सम्बन्धित पशुचिकित्साविदों का विवरण उपलब्ध करावें।

पशुचिकित्साविद का नाम	पंजीकरण एवं संदर्भ संख्या	पता पिन कोड सहित	वैधता की तिथि	मो0नं0 एवं ईमेल आई0डी0

भवदीय,

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णेय)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक 1153 /उ0प्र0प0चि0परि0/2016-17 दिनाँक 27-06-2016

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपनिदेशक, प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. संयुक्त निदेशक डी0एफ0एस0 चकगंजरिया-रहमानखेड़ा(लखनऊ), बाबूगढ़(हापुड़), मंझरा(लखीमपुर खीरी), उ0प्र0।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
4. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सचिव भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन।

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णेय)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास।